ओम कुमार सिंह
सहायक प्राचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
डी.बी.कॉलेज,जयनगर
(ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,दरभंगा)

दिनांक: 10/07/2020

स्नातक(प्रतिष्ठा) द्वितीय खण्ड
राजनीति विज्ञान
तृतीय पत्र(भारतीय शासन एवं राजनीति)
तृतीय अध्याय(भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ और संविधान संशोधन प्रक्रिया)
व्याख्यान संख्या: 09

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ-

---

(1) सबसे लम्बा लिखित संविधान--

भारत का संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। विभिन्न संवैधानिक संशोधनों के उपरांत वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद हैं। हालाँकि नए जोड़े गए सभी खण्डों को क्रमानुसार गणना की जाय तो 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 440 से भी अधिक अनुच्छेद हो जाते हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147, आस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद ही हैं।

भारतीय संविधान के व्यापक व विस्तृत होने की मुख्य वजह भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक और कुछ विशेष राज्यों के लिए अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

(2) लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान--

यह लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है अर्थात् यह

भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गयी है।

(3) विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया--

संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया है। जैसे-न्यायपालिका, अध्यादेश, लोक सेवा आयोग आदि। साथ ही बहुत सारे प्रावधान अनेक देशों के संविधान भी लिये गए हैं। जैसे- ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, कनाडा के संविधान से शक्ति का विभाजन, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति-निदेशक तत्व, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अधिगृहित हैं। इसी प्रकार और अन्य देशों से भी हमारा संविधान प्रेरित है।

(4) नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण--

भारतीय संविधान न तो अधिक लचीला है और न ही अधिक कठोर; बल्कि दोनों का समन्वित रूप है। अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संविधान संशोधन के प्रावधान हैं--

(क) विशेष बहुमत-- सदन के कुल सदस्यों के उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 से बहुमत।

(ख) विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन।

इसके अलावा, संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किये जा सकते हैं।

(5) एकल नागरिकता--

भारतीय संविधान में एकल का प्रावधान है, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं।नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद 5-11 तक वर्णित है।

(6) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार--

प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो , उसे धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा और सम्पत्ति के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता है।

पहले मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष थी, जिसे 61 वें संविधान संशोधन,1989 द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

(7) स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका--

भारतीय संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है।

उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने साथ-साथ संविधान का संरक्षक भी है।

(8) संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय--

उच्चतम न्यायालय एक ओर न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों संशोधन या परिवर्तन कर सकती है।

उपर्युक्त के अलावा संसदीय शासन प्रणाली, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति-निदेशक तत्व, त्रि-स्तरीय शासन व्यवस्था, आपात उपबंध एवं पंथनिरपेक्षता का प्रावधान भी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ।

सम्भावित प्रश्न:

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।